जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी के प्रति विद्युत वितरण निगम सख्त

मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी पर एफ.आई.आर. दर्ज होगी

जयपुर, 04 नवम्बर। बिजली चोरी के लिए मीटर में बाहरी डिवाईस लगाकर छेड़छाड़ व ट्रांसफार्मर के मीटर बॉक्स की वैल्डिंग तोड़ने के प्रकरणों में अनिवार्य रुप से एफ. आई. आर. दर्ज होगी। ऐसे उपभोक्ताओं के मामलों में विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 135 एवं 138 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर. ए. सावंत ने बताया कि विजीलेन्स चैकिंग के दौरान यदि किसी उपभोक्ता द्वारा बिजली मीटर में डिवाईस लगाकर कर बिजली चोरी करना पाया जाएगा तो ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध अनिवार्य रुप से एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए गए है।

श्री सावंत ने बताया कि वितरण ट्रांसफार्मर पर लगे हुए एम एण्ड पी बॉक्स की वैल्डिंग को बिजली चोरी के उद्देश्य से जानबूझकर तोड़ा गया पाए जाने पर विद्युत अधिनियम –2003 की धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 313/2015